राजस्थान सरकार

निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/**205;** दिनांकः 19 जनवरी 2021

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

ज्ञान गंगा कार्यक्रम

विषयः ज्ञान गंगा कार्यक्रमान्तर्गत शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में।

सन्दर्भः आकाशि का पत्रांक CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020/**133;** दिनांक 24 दिसम्बर 2020 एवं पत्रांक CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020/**139;** दिनांक 30 दिसम्बर 2020 के क्रम में।

उपर्युक्त सन्दर्भ में लेख है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक संवर्द्धन एंव क्षमता विकास हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान की पहल पर आरम्भ ज्ञान गंगा कार्यक्रम के संबंध में काफी उत्साहजनक फीडबैक प्राप्त हो रहा है। साथ ही, आयोजक महाविद्यालयों द्वारा बहुत ही उत्साह, गुणवत्तापूर्ण एवं व्यवस्थित रुप में ये कार्यक्रम आयोजित करवाये जा रहे हैं। इसके लिये अभी तक आयोजित कर चुके सभी आयोजक महाविद्यालयों को हार्दिक बधाई एवं आयोजन प्रक्रियान्तर्गत चल रहे महाविद्यालयों को सफलता के लिये शुभकामनाएं।

इन कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में कुछ बिन्दु, जो महाविद्यालयों द्वारा ध्यान में लाये गये हैं के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि –

1. चूंकि यह कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान एवं संबंधित राजकीय महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित करवाये जा रहे हैं, अतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये कार्यक्रम विवरण, आमंत्रित रिसोर्स पर्सन्स, कार्यक्रम का पोस्टर/बैनर/फ्लैक्स का डिजाइन प्रारुप एवं उद्घाटन/समापन सत्रों का क्रम आयुक्तालय को कार्यक्रम पूर्व प्रेषित कर अवलोकन अवश्य करवायें तथा आयुक्तालय की सहमति प्राप्त करें।
2. **इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समापन पश्चात केवल नामित सहभागियों को ही अधिकृत प्रमाणपत्र दिये जायेंगे।**
3. नामित सहभागियों को दिये जाने वाले प्रमाणपत्रों का प्रारुप आयुक्तालय के नवाचार प्रकोष्ठ को प्रेषित कर उसका अवलोकन करवायें एवं सहमति प्राप्त करें। तदुपरान्त आयुक्त के नमूना हस्ताक्षर हेतु अनुरोध प्रेषित करें। प्रमाणपत्रों की गुणवत्ता एवं स्तर सुनिश्चित करना आयुक्तालय एवं महाविद्यालय दोनों का सामूहिक दायित्व है।
4. **नामित सहभागियों को दिये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर केवल 03 व्यक्तियों के हस्ताक्षर ही करवाये जायें**– (1) **आयुक्त, कॉलेज शिक्षा,** (2) **संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य** एवं (3) **कार्यक्रम प्रभारी/समन्वयक/संयोजक** (जो कोई भी, परन्तु केवल एक)। **इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं होगे।** इस संबंध में जारी पूर्व आदेशों को इस आदेश द्वारा संशोधित किया जाता है।

5. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमंत्रित रिसोर्स पर्सन्स को यदि प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना हो तो उस पर 03 व्यक्तियों के हस्ताक्षर ही करवाये जायें– (1) संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य (2) कार्यक्रम प्रभारी/समन्वयक/संयोजक (जो कोई भी, परन्तु केवल एक) (3) आयोजन सचिव। **इन प्रमाणपत्रों पर भी आयुक्त के हस्ताक्षर नहीं होगे।**

6. **इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आयोजन समिति के समन्वयक, आयोजन सचिव/सह सचिव एवं सदस्यों को आवश्यकरुप से प्रमाण पत्र दिया जावे** और **उस पर केवल प्राचार्य के हस्ताक्षर ही करवाये जायें। इन प्रमाणपत्रों पर आयुक्त के हस्ताक्षर नहीं होगे।**

7. इन कार्यक्रमों के उद्घाटन/समापन सत्रों में जिला/सम्भाग/राज्य स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों/प्रबुद्ध विद्वानों/माननीयों को उनकी उपलब्धतानुरुप आमंत्रित कर अनुरोध करें। इससे उनका संस्थाओं के साथ जुडाव/संवाद प्रेरित होगा।

8. सभी नामित सहभागियों को कार्यक्रम समाप्ति पर अपना फीडबैक आवश्यकरुप से ज्ञान गंगा कार्यक्रम की ई–मेल **gyanganga.cceraj@gmail.com** पर कार्यक्रम समाप्ति उपरान्त 2 दिवस के अन्दर अन्दर अपने प्राचार्य को प्रेषित करना है। यह फीडबैक कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापित संकाय सदस्य भी, वर्तमान में जो जहां कार्यरत हैं, वहीं के प्राचार्य को प्रस्तुत कर सकते हैं।

9. इन कार्यक्रमों का स्थानीय समाचार पत्र/जनसंचार माध्यमों से अधिकाधिक समाचार प्रसारित करवायें।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन हेतु नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के निम्न अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं –

1. डॉ. विनोद कुमार भारद्वाज	: प्रभारी अधिकारी नवा. एवं कौशल विकास	94143 04650
2. डॉ. शिवांगना शर्मा	: सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास	94615 19852
3. डॉ. ललिता यादव	: सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास	95299 93619
4. डॉ. विश्राम मीना	: सहा. आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास	99503 73686

संदेश नायक, IAS
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांकः CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/**205**; दिनांकः 19 जनवरी 20201
प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
4. प्राचार्य राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।
5. समस्त, क्षेत्रीय सहायक निदेशक, सम्भाग कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
6. संबंधित नामित संकाय सदस्य, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
7. वैबसाइट प्रभारी को अपलोड/ई–मेल करने हेतु।/ रक्षित पत्रावली।

19/01/2021
डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ